8

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 949] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 24, 2017/अग्रहायण 3, 1939
No. 949] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 24, 2017/AGRAHAYANA 3, 1939

विदेश मंत्रालय

(कान्सुलर, पासपोर्ट और वीजा प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2017

सा.का.नि. 1444(अ).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2010 का, जहाँ तक उनका संबंध प्रवर श्रेणी लिपिक, अवर श्रेणी लिपिक और कार्यालय सहायक से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने के लिए लोप किया गया है, राष्ट्रपति एतदद्वारा विदेश मंत्रालय के केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन में वरिष्ठ पासपोर्ट सहायक, कनिष्ठ पासपोर्ट सहायक, कार्यालय सहायक (मल्टी टास्किंग स्टाफ), (समूह 'ग' पद) के पदों की भर्ती के तरीके करने के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों को विदेश मंत्रालय,केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन (समूह 'ग' पद) भर्ती नियमावली, 2017 कहा जाए।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. लागू होना:- ये नियम इनके साथ उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, पे मैट्रिक्स में 'स्तर'। -उक्त पदों की संख्या, उनके वर्गीकरण और उनके साथ उपाबद्ध पे मैट्रिक्स में स्तर उक्त अनुसूची के कॉलम (2) से (4) के विनिर्देशों के अनुसार होंगे।

4. भर्ती का तरीका, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि। - उक्त पदों पर भर्ती का तरीका,आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें उपर्युक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (14) के विनिर्देशों के अनुसार होंगी।

5. अनर्हता: कोई ऐसा व्यक्ति

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह का इकरार किया है जिसकी एक जीवित पति/पत्नी है, अथवा